International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 8.141
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol.11 No.6 July – August 2024

भारत मे बौद्धिक संपदा अधिकार नीती एवं वर्तमान स्थिती

डॉ. सचिन एस. वेरुळकर
सहाय्यक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र विभाग,
एस एन. मोर कॉलेज तुमसर भंडारा

DOI - 10.5281/zenodo.18776421

सारांश :

2024 डब्ल्यूआईपीओ रिपोर्ट में भारत की उल्लेखनीय प्रगति बौद्धिक संपदा में उभरते वैश्विक नेता के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, भारत वैश्विक नवाचार का केंद्र बन रहा है। इसकी निवासी फाइलिंग की बढ़ती संख्या नवाचार-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और सरकारी नीतियों द्वारा समर्थित रचनात्मकता और आविष्कार की ओर बदलाव को दर्शाती है।

देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और विकास पर ध्यान के साथ, इसे वैश्विक आईपी परिदृश्य में अपनी मजबूत स्थिति बनाती है। जैसे-जैसे अधिक भारतीय कंपनियां और निर्माता अपने नवाचारों की रक्षा करेंगे, बौद्धिक संपदा में ग्लोबल इनोवेशन पावरहाउस के रूप में भारत की वैश्विक भूमिका का विस्तार जारी रहेगा।

की वर्डस : बौद्धिक संपदा, राष्ट्रीय IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) नीति 2016, भौगोलिक टैग, कॉपीराइट.

प्रस्तावना :

प्राचीन काल से हि भारत आविष्कारोकी जननी रही है. अर्थव्यवस्था की संवृद्धि एवं विकास के लिए सृजनात्मकता तथा नवीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं. इसमे कला,मनोरंजन,साहित्य,फिल्म एवं संगीत उद्योग,अन्न प्रक्रियाका क्रमिक विकास, वैश्विक रूप से कम वहन करने योग्य कीमत पर औषधियों तक सामान्यजन की पहुँच को बढ़ाने तथा *'विश्व की फार्मेसी'* का दर्जा तक प्राप्त करने वाले भारतीय फार्मास्यूटीकल्स क्षेत्रक का योगदान, एक सुदृढ़ सॉफ्टवेयर उद्योग, विविधीकृत दस्तकारी एवं टेक्सटाइल्स उद्योग, भारतीय चिकित्सा प्रणाली की प्रतिभा-सम्पन्नता, भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियाँ तथा भारतीय वैज्ञानिकों की इन उपलब्धियों को कम लागत में बनाने में भूमिका आदि.

पाश्चात्य जगत् की भाँति नवसृजन तथा नवोन्मेष का प्रयोग विशुद्ध रूप से लाभार्जन के लिए कम ही हुआ है.प्राचीन काल से ही भारत एक

नवोन्मेष -समाज रहा है, लेकिन निम्नलिखित कारणों से सृजित बौद्धिक सम्पदा मर्यादित ही रही है-

- परोपकार की भावना
- जागरूकता का अभाव
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारेमे उदासीनता
- बौद्धिक सम्पदा संरक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है ? ऐसी सोच

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण का मुद्दा विश्व व्यापार संगठन के सन् 1995 में गठनके बाद सुर्खियों में आया विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न समझौतों में से एक प्रमुख समझौता व्यापार सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार समझौता (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) भी है.[1]

बौद्धिक संपदा अधिकार:

बौद्धिक संपदा (Intellectual property -II) से आशय है मस्तिष्क का सृजन जिसमें शामिल है; अन्वेषण, साहित्यिक व कलात्मक कार्य तथा प्रतीक, नाम, चित्र व वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त डिजाईन। [2]

बौद्धिक संपदा दो वर्गों में विभाजित है: पहला है औद्योगिक संपदा जिसमें अण्वेषण (पेटेंट), ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाईन व संसाधनों का भौगोलिक संकेतक शामिल है, और दूसरा है कॉपीराईट जिसमें उपन्यास, नाटक, फिल्म, संगीत, डाइंग, पेटिंग, फोटोग्राफ व वास्तुकला जैसे कलात्मक कार्य तथा वास्तुशास्त्रीय डिजाईन शामिल हैं। कॉपीराइट से जुड़े अधिकारों में कलाकारों द्वारा प्रदर्शन, निर्माताओं द्वारा फोनोग्राम की उनकी रिकॉर्डिंग तथा रेडियो व टेलीविजन प्रोग्राम में प्रसारणकर्ताओं की रिकॉर्डिंग भी शामिल होती है।[3]

बौद्धिक संपदा अधिकार सृजनकर्त्ता को पैटेन्ट, ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट के माध्यम से अपने द्वारा किये गये कार्यों में निवेश के प्रति लाभ प्रदान करते हैं। ये अधिकार मानवाधिकारों के घोषणापत्र के 'अनुच्छेद 27' में रेखांकित किये गये हैं जिसके अनुसार सृजनकर्ता को वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं कलात्मक रचनाओं के प्रति मालिकाना लाभ प्रदान होता है।[4]

बौद्धिक संपदा के संरक्षण की आवश्यकता:

1) मानवता के विकास एवं अच्छे रहन-सहन हेतु तकनीक और संस्कृति के । क्षेत्र में नित् नयी खोजों की आवश्यकता है।

2) नवीन निर्माणों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर और अधिक खोजों के लिये प्रोत्साहन मिलता है और

3) बौद्धिक संपदा को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप उद्योगों एवं नये रोजगारों का सृजन होता है जिससे अन्ततः जीवन की गुणवत्ता एवं आनन्द में वृद्धि होती है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार समझौता (TRIPS)[5]:

इस समझौते के अनुसार बौद्धिक सम्पदा में निम्नलिखित क्षेत्र हैं-

(i) कॉपीराइट एवं उससे सम्बन्धित अधि-कार (अदाकारों के अधिकार, साउण्ड रिकॉर्ड करने वालों के अधिकार, प्रसारण संगठनों के अधिकार)

(ii) ट्रेडमार्कस (सर्विस मार्क्स सहित)

(iii) भौगोलिक इण्डीकेटर्स

(iv) औद्योगिक डिज़ायन पेटेन्ट (संयन्त्रों के नए स्वरूपों का संरक्षण सहित)

(v) इण्टीग्रेटेड सर्किटों के ले आउट डिज़ाइन की आवश्यकता

(vi) अप्रकट सूचना (ट्रेड सीक्रेट्स एवं टेस्ट डाटा सहित)

भारत व बौद्धिक संपदा अधिकार:

विश्व व्यापार संगठन का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से संबंधित करार का समर्थन किया है। इस करार के अनुसार भारत सहित सभी सदस्य देश परस्पर वार्ता से निर्धारित किए गए प्रतिमानों और मानकों का पालन अनुबंधित समय सीमा के अंतर्गत करेंगे।

बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रणाली:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अधीन 'महानियंत्रण, पेटेण्ट, डिजाइन और ट्रेड मार्क (सीजीपीडीटीएम)' के कार्यालय का गठन किया गया है। यह पेटेण्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक सर्कत से संबंधित सभी मामलों को प्रकाशित करता है और निम्नलिखित के कार्यों का संचालन एवं निरीक्षण करता है।[6]

- पेटेंट कार्यालय (डिजाइन विंग सहित)
- पेटेण्ट सूचना प्रणाली (पीआईएस)
- ट्रेडमार्क रजिस्ट्री (टीएमआर)

1) भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (जीआईआर) इसके अलावा, कॉपीराइट्स और इससे संबंधित अधिकारों के पंजीकरण सहित सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में एक कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना की गई है।

2) जहां तक एकीकृत परिपथों ले आउट डिजाइन तैयार करने से संबंधित मुद्दों का संबंध है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक नोडल संगठन है।

3) जबकि कृषि मंत्रालय पौध की सुरक्षा, किस्मों की सुरक्षा और कृषक अधिकार प्राधिकारी पौध की किस्मों से संबंधित सभी उपायों और नीतियों को प्रशासित करता है।

वैधानिक उपाय:

भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न कानून[7]

- कॉपीराइट अधिनियम, 1957
- पेटेण्ट अधिनियम, 1970
- ट्रेडमार्कस अधिनियम, 1999
- ज्योग्राफिकल इण्डिकेशन्स ऑफ (रजिस्ट्रेशन एण्ड प्रोटेक्शन) अधि 1999

प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई प्रकार के वैधानिक उपाय किए गए हैं। इनमें ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999, वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं सुरक्षा) अधिनियम, 1999, डिजाइन अधिनियम, 2000, पेटेण्ट अधिनियम, 1970 और इसमें वर्ष 2002 और 2005 में किए गए संशोधन, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और इसका संशोधन कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1999, अर्धचालक एकीकृत परिपथ ले आउट डिजाइन अधिनियम, 2000, तथा वर्ष 2001 की पौधों की किस्मों और कृषक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम।

राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति, 2016:

राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति 2016 नीति निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं।[8]

- विभिन्न क्षेत्रकों में बौद्धिक सम्पदा ऑडिट एवं आधारभूत सर्वेक्षण
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों रोजगार निर्यातों एवं प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण में बौद्धिक सम्पदा घटक के योगदान का मूल्यांकन
- राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्व-विद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं अन्य अनुसंधान में कार्यरत् शोधकर्ताओं द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को प्राप्त करने के सन्दर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकार उप-लब्धियों के सुधार
- सार्वजनिक वित्तीय सहायता प्राप्त अकाद-मिक एवं अनुसंधान तथा विकास संस्थानों को अनुसंधान-वित्तीयन और कैरियर प्रोन्नयन से सम्बद्ध कर अनुसंधान को बढ़ावा .
- सार्वजनिक संसाधनों से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु बौद्धिक सम्पदा सृजन को एक प्रमुख उपलब्धि मानक के रूप में चिह्नित करना.
- ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, डाटा विश्लेषण, नैनो-टेक्नोलोजी, नए पदार्थों का विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में नवोन्मेष हेतु अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्वेषणकर्ताओं का मार्गदर्शन करना.
- घातक रोगों की रोकथाम, जाँच एवं परीक्षण तथा उपचार हेतु नई प्राविधियों तथा औषधियों की खोज को प्रोत्साहन.
- पारम्परिक ज्ञान डिजिटल एवं पुस्तकालय (TKDL) का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर इसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी तथा सिद्धा को भी शामिल करना.

बौद्धिक संपदा में भारत की वर्तमान स्थिती:

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 इसके 193 सदस्य देश हैं। भारत वर्ष 1975 में WIPO में शामिल हुआ। भारत IPR से संबंधित महत्त्वपूर्ण

WIPO-प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का भी सदस्य है।[9]

डब्ल्यूआईपीओ द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें:

- वैश्विक नवाचार सूचकांक
- विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक
- WIPO टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स रिपोर्ट

विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 में भारत का प्रदर्शन:

भारत में बौद्धिक संपदा (IP) की स्थिति में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। भारत वैश्विक IP सूचकांक में 43वें स्थान पर है और WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) की रिपोर्टों के अनुसार, IP फाइलिंग और पेटेंट में वृद्धि देखी गई है. हालाँकि, भारत को IP अधिकारों के संरक्षण और व्यावसायीकरण में सुधार करने की आवश्यकता है।[10]

- **पेटेंट में वृद्धि:** भारत ने वर्ष 2023 में शीर्ष 20 देशों में पेटेंट आवेदनों में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की, जो दोहरे अंकों की वृद्धि का लगातार पाँचवाँ वर्ष है। पेटेंट आवेदनों के लिये भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है।[11]
- **औद्योगिक डिजाइन:** वर्ष 2018 और 2023 के बीच पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन आवेदन दोगुने से अधिक हो गए।[12]
- शीर्ष तीन क्षेत्र- वस्त्र एवं सहायक उपकरण, उपकरण एवं मशीनें, तथा स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन - सभी डिज़ाइन फाइलिंग का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं।
- **पेटेंट-जीडीपी अनुपात:** भारत के पेटेंट-जीडीपी अनुपात, जो पेटेंट गतिविधि के आर्थिक प्रभाव का एक माप है, में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो आर्थिक विस्तार के साथ-साथ IP गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है। भारत का पेटेंट-से-जीडीपी अनुपात 2013 में 144 से बढ़कर 2023 में 381 हो गया।[13]
- **ट्रेडमार्क:** भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में **वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है,** जिसमें लगभग 90% फाइलिंग घरेलू संस्थाओं द्वारा की गई है। प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य (21.9%), कृषि (15.3%) और वस्त्र (12.8%) शामिल हैं। भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय विश्व में सक्रिय पंजीकरणों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या रखता है।[14]
- **भौगोलिक संकेत:** भारत (530) में कम GI लागू हैं, क्योंकि इसके GI को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा संरक्षण नहीं प्राप्त है। इसके विपरीत चीन, जर्मनी, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देशों में उनके क्षेत्रों में GI लागू होने की संख्या काफी अधिक है।[15]

आई.पी.आर.बढ़ावें हेतू प्रयास:

राष्ट्रीय आईपी नीति: 2016[16]

आईपी फाइलिंग में भारत की वृद्धि को संचालित करने वाला प्रमुख कारक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति है, जो 2016 में आरंभ की गई थी। यह व्यापक ढांचा भारत में

बौद्धिक संपदा के विकास और सुरक्षा का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अंतर्गत किए गए उद्देश्य और गतिविधियां:-:

- आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण:
- जागरूकता और शिक्षा: शैक्षणिक संस्थानों और व्यवसायों में आईपी जागरूकता
- आईपी व्यावसायीकरण: आईपी फाइलिंग और पेटेंट और अन्य आईपी के व्यावसायीकरण के लिए विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी नवाचार सहायता केंद्र (टीआईएससी) की स्थापना।

स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया[17]

भारत का वाइब्रेंट स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र देश की बढ़ती आईपी गतिविधि का अन्य प्रमुख चालक है। उद्यमिता को बढ़ावा देने, एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने और भारत को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वालों के देश में बदलने के लक्ष्य के साथ 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था। 30 सितंबर, 2024 तक, डीपीआईआईटी ने आधिकारिक तौर पर 1,49,414 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम)[18]

देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। एआईएम स्कूलों में समस्या-समाधान और नवीन सोच को बढ़ावा देने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, साथ ही विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी और एमएसएमई क्षेत्रों में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाता है। अब तक, एआईएम ने देश भर के स्कूलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की हैं, 3500 से अधिक स्टार्टअप अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों में इनक्यूबेट किए गए हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में 32000 से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई हैं।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM)[19]

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम) ने 15 अगस्त 2022 की समय सीमा से पहले ही 31 जुलाई 2022 तक 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा (आईपी) जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

निपम, आईपी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम, "आज़ादी का अमृत महोत्सव" समारोह के एक भाग के रूप में 8 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)[20]

सरकार ने बौद्धिक संपदा (आईपी) के संरक्षण और दोहन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उच्च शिक्षा संस्थानों में बौद्धिक संपदा (आईपी) के

दाखिले को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 15 अक्टूबर, 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम (कपिला) नामक एक अभियान शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए एक कपिला पोर्टल भी शुरू किया गया है।

इस पहल के तहत, आईपी क्लिनिक, नवाचार और बौद्धिक संपदा से संबंधित केस स्टडी/लेख, ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह (एनआईपीएलडब्ल्यू) जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। 46,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने कपिला जागरूकता कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कराया है।

भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित चुनौतियाँ

1) **प्रशासनिक विलंब:** IP पंजीकरण, पेटेंट अनुमोदन एवं विवाद समाधान में जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं से नवाचार में बाधा आती है।

2) **बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे मर्यादित जागरूकता**: कई उद्यमियों, विशेषकर MSMEs एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के महत्त्व के संबंध में जानकारी का अभाव है।

3) **कमज़ोर R&D पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत को अपने नवाचार परिदृश्य में कमज़ोर R&D पारिस्थितिकी तंत्र के कारण चुनौतियों (जिसमें कम निवेश एवं जागरूकता, उद्योग तथा सरकार के बीच सीमित सहयोग शामिल है) का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप को सीमित समर्थन, वित्तीय संसाधनों तक पहुँच की कमी, मार्गदर्शन एवं नवाचार हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी बनी हुई है।

4) **वैश्विक बाज़ारों तक सीमित पहुँच:** भारतीय नवप्रवर्तकों को जटिल एवं महंगी वैश्विक फाइलिंग प्रक्रियाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

उपाययोजना:

1) **सुव्यवस्थित एवं सरल प्रक्रियाएँ:** विलंब को कम करने एवं कुशल पेटेंट तथा ट्रेडमार्क फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए IP संबंधित प्रक्रियाओं को डिजिटल एवं त्वरित बनाना चाहिये

2) **जन जागरूकता अभियान:** बौद्धिक संपदा अधिकार साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप, MSMEs एवं शैक्षणिक संस्थानों को लक्षित करते हुए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने चाहिये।

3) **अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ावा** देना इसके अतिरिक्त अनुदान, इनक्यूबेशन सेंटर एवं मेंटरशिप कार्यक्रम प्रदान करके एक समग्र स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने से सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप को सशक्त बनाया जा सकता है।

4) **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार संधियों में भागीदारी बढ़ाने के साथ भारतीय संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने के क्रम में सब्सिडी प्रदान करनी चाहिये।

संदर्भ:

1. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

2. https://www.trade.gov/protect-intellectual-property
3. Intellectul Property laws ,BARE Acts Professional book Publishiers,new Delhi Pg. no v
4. Intellectul Property laws ,BARE Acts Professional book Publishiers,new Delhi Pg. no v
5. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
6. https://ipindia.gov.in/newsdetail.htm?1055/
7. Intellectul Property laws ,BARE Acts Professional book Publishiers,new Delhi Pg. no i
8. https://ipindia.gov.in/writereaddata/portal/images/pdf/2016-_national_ipr_policy-2016__english_and_hindi.pdf
9. https://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=IN
10. https://www.uschamber.com/intellectual-property/2022-international-ip-index
11. https://www.wipo.int/en/web/ip-statistics/w/news/2024/world-intellectual-property-indicators-report-global-patent-filings-reach-record-high-in-2023
12. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2072762
13. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2072762
14. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2072762
15. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2073890Reference
16. https://master-dpiit.digifootprint.gov.in/ministry/about-us/details/Title=National-Intellectual-Property-Rights-(IPR)-Policy-ITMwETMtQWa
17. https://xn--11b3cgab9b4bm5d.xn--h2brj9c/hi/campaigns/digital-india/
18. https://aim.gov.in/
19. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1850898
20. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783482